कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/नि.प्र/नि.2/982/शिक्षक भर्ती/लेवल–2/ दिनांकः–10.08.18

सूचना

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अन्तर्गत लेवल द्वितीय के 28000 पदो पर भर्ती हेतु दिनांक 31.07.2018 को पदवार विज्ञप्तियां जारी की गई है। इस भर्ती अन्तर्गत दिनांक 05.08.2018 से 25.08.2018 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदनकर्ता निम्न बिन्दुओं को ध्यान मे रखकर आवेदन करें:–

1. केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नही होंगें।
2. ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद एप्लीकेशन आई डी प्राप्त होने के बाद ही आवेदन जमा किया हुआ माना जायेगा।
3. विस्तृत विज्ञप्ति व पंचायती राज नियमों का पूर्ण अवलोकन व अध्ययन करने के बाद ही आवेदन करें।
4. जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, स्नातक मे वैकल्पिक (Optional) विषय के रूप मे होना अनिवार्य है (इस हेतु विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 9.1(B) का अध्ययन करे। आरटेट/रीट मे भी संबंधित विषय वर्ग मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
5. आरटेट/रीट मे न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक होना अनिवार्य है, केवल TSP क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियो हेतु 36 प्रतिशत अंक होने की छूट है लेकिन इस वर्ग को आरटेट 2011 हेतु छूट नही है।
6. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन मे आरटेट/रीट के रोल नंबर ही भरे व लेवल द्वितीय के ही प्राप्तांक भरने है। आरटेट/रीट के पूर्णांक 150 निर्धारित है यदि किसी आवेदक के द्वारा आरटेट/रीट के रोल नंबर, प्राप्तांक गलत भरे जायेंगे तो उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।
7. स्नातक के कुल पूर्णांक व प्राप्तांक भरने है, किसी एक विषय के अंक नही भरने है यदि स्नातक के बाद अतिरिक्त विषय के रूप मे Additional उतीर्ण किया हुआ है,तो ऑनलाइन आवेदन मे संबंधित स्थान पर Additional के पूर्णाक एवं प्राप्तांक भरे। Additional के प्राप्तांक व पूर्णांक अलग से ही भरे।
8. ऑन लाईन आवेदन में स्नातक, आरटेट/रीट एवं एडिशनल उत्तीर्ण होने पर एडिशनल की अंकतालिकाओं पर हस्ताक्षर कर अपलोड की जाये। रीट 2017 लेवल द्वितीय का प्रमाण पत्र अप्राप्त होने की स्थिति में बोर्ड की वेबसाईट से अंक तालिका डाउनलोड कर स्वयं प्रमाणित अंक तालिका अंक तालिका अपलोड की जावें।
9. आवेदक ई मित्र क्रियोस्क पर निर्भर नही रहे प्रत्येक प्रविष्टी की स्वयं जांच करे, एक बार आवेदन सबमिट होने के बाद उसमे किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नही होगा व इस हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
10. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के निवासी चाहे वह किसी भी जाति/वर्ग का हो सामान्य अभ्यर्थी के रूप मे ही आवेदन करेंगे।
11. आरक्षित वर्ग (ओबीसी/एमबीसी/एससी/एसटी) के अभ्यर्थियो को आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनके नाम के आगे पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. अनुसूचित क्षेत्र मे अन्य पिछडा वर्ग व अति पिछडा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान नही है अतः अनुसूचित क्षेत्र मे उक्त वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी मे ही आवेदन करें।
13. विधवा/परित्यकता महिलाओं को आनलाइन आवेदन करने की निर्धारित दिनांक तक का संबंधित प्रमाण–पत्र (पति की मृत्यु/विवाह विच्छिन की डिक्री) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. उत्कृष्ट खिलाडी के रूप मे केवल अर्न्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडी ही पात्र होंगे। इस हेतु विस्तृत विज्ञप्ति की बिन्दु संख्या 11.2(ii)ख का अवलोकन करे।
15. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किये बिना ही आवेदन कर देवे। आवेदन का प्रिन्ट सुरक्षित रखे ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध मे FAQ का अध्ययन करे।
16. ऑनलाइन आवेदन मे जान बुझकर गलत सुचना भरे जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी व राज्य सरकार की नई भर्तियों से वंचित (DEBAR) किया जा सकता है।

10.8.18

उप निदेशक(पं.राज.)
प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर